डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 23 ● भोपाल ● 1-15 मई, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

महिलाओं के उत्थान में ही देश का उत्थान समाहित

महिला कौशल विकास एवं आर्थिक उत्थान सेमीनार में सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने की सहभागिता

भोपाल। महिलाओं के उत्थान एवं प्रगति में ही समाज एवं देश का उत्थान समाहित है। यह बात सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा **महिला कौशल विकास एवं आर्थिक उत्थान** विषय पर आयोजित सेमीनार में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय परम्परा, दर्शन, संस्कृति एवं धर्म में महिलाओं को पूजनीय एवं सशक्त माना गया है। हिन्दू धर्म ग्रन्थों में भी विद्या, शक्ति एवं धन की स्वामी क्रमशः सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी को माना गया है। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्व-रोजगार स्थापित करने एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिये नवाचार किये जा रहे हैं। सहकारिता कोई कठिन कार्य नहीं है। अनुशासन में रहते हुए सदभाव, समन्वय एवं आपसी सहयोग से श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करना ही सहकारिता है।

श्री सारंग ने आस्था बैंक की अध्यक्ष श्रीमती आरती बिसारिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत छोटे रूप में आस्था महिला बैंक को प्रारंभ कर बहुत आगे तक बढ़ाया। बैंक को समाज विशेष की सीमा से हटकर सामाजिक सरोकार एवं सहकारिता से जोड़ा। श्री सारंग ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब सीखे हुए कार्य को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा जाये। उन्होंने महिला समूहों द्वारा बनायी गई वस्तुओं की बिक्री के लिये दुकानें दिलाने एवं विपणन हेतु फेडरेशन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारिता को विस्तृत रूप दिया जा रहा है। इसे पर्यटन, भंडारण एवं पार्किंग सहित अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। सहकारिता बिना किसी लाभ के नागरिकों का उत्थान करता है। श्री सारंग ने महिला समूहों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मंत्री ने आस्था महिला नागरिक सहकारिता बैंक द्वारा सिलाई, कढ़ाई एवं अन्य ट्रेड में प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र दिये। बैंक के पूर्व संचालकों को प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैंक की अध्यक्ष श्रीमती आरती बिसारिया ने बैंक के कार्यों एवं सेमीनार की जानकारी दी। सेमीनार में संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविंद सेंगर, प्रबंध संचालक आवास संघ एवं संयुक्त आयुक्त श्री आर.के. शर्मा, राज्य विपणन प्रबंधक इफको श्री एम.एल. जोशी उपस्थित थे। सेमीनार में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने सहभागिता की।

प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के संचालकों का प्रशिक्षण 1 मई से प्रारंभ करें : श्री कियावत

म.प्र. राज्य सहकारी संघ में चार दिवसीय नवाचार व ट्रेनर्स ट्रैनिंग

भोपाल। प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं के संचालकों का प्रशिक्षण 1 मई से प्रारंभ करें ताकि सहकारिता के प्रति नयी सोच हो। उक्त उद्गार सहकारिता आयुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के कर्मचारियों हेतु नवाचार तथा सहकारिता ट्रैनर्स ट्रैनिंग में व्यक्त किये।

सहकारिता आयुक्त ने कहा कि सहकारिता को अभी शहरों में आवास के क्षेत्र तथा गांवों में पैक्स के कारण जाना जाता है लेकिन यह यही तक सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी है। इसका क्षेत्र असीमित है। आज आवश्यकता है लीक से हटकर चलने की। सहकारी मंथन में सभी को प्रशिक्षण की अनुशंसा की गयी है। प्रशिक्षण से सहकारिता के नये क्षेत्रों जैसे विद्यार्थी उपभोक्ता भंडार, परिवहन, पर्यटन, प्रसंस्करण तथा आउट सोर्सिंग आदि क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु प्रयास किये जाये वहीं संचालकों को सहकारिता से संबंधित जानकारी, अंकेक्षण, निर्वाचन, बैठक तथा आमसभा आदि के वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी जाय ताकि सदस्यों में जागरूकता आये। इससे जड़ता समाप्त होगी और स्वरूप बेहतर होगा तथा सहकारी संस्थाओं में आंतरिक प्रजातंत्र स्थापित होगा।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण गतिविधि नहीं है यह निरन्तरता है। इसके लिये एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय। प्रशिक्षण एक टर्निंग पॉइन्ट होगा इससे एक ओर जहां नवाचार की नयी सोच पैदा होगी वही बैसिक जानकारी से सदस्यों में जागरूकता आयेगी। इससे सहकारिता से सभी को जोड़ने का अवसर भी मिलेगा। कार्यक्रम में अपर आयुक्त श्री ए.के. दीक्षित तथा राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन तथा सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री ए.के. अस्थाना भी उपस्थित थे। नवाचार पर श्री प्रेम द्विवेदी, उपायुक्त सहकारिता ने तथा श्री पृथ्वीराज सिन्हा ने प्रशिक्षण तकनीक की जानकारी दी। प्रशिक्षण 24 अप्रेल से 27 अप्रेल तक चला। जिसमें जिलों में पदस्थ सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब ये लोग 1 मई से जिलों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सत्र समन्वयक व्याख्याता द्वय श्री ए.के. जोशी एवं श्रीमती रेखा पिप्पल थे।

महुआ की गुल्ली और फूल अब 30 रु. किलो खरीदा जायेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की उमरिया में घोषणा

भोपाल। महुआ की गुल्ली और फूल अब 30 रूपये प्रति किलो खरीदा जायेगा। अभी लगभग 15 रूपये किलो के भाव से बिकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा उमरिया में आयोजित उमरिया उत्सव में की। श्री चौहान ने अधिक से अधिक महुआ के पेड़ लगाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इसके साथ ही अचार की गुठली 80 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदी जायेगी। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले पुरूषों को जूते और महिलाओं को चप्पल के साथ ही पानी की कुप्पी भी दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि जंगल की अन्य उपज का भी उचित मूल्य दिया जायेगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि उमरिया जिले में वनोपज पर आधारित लघु और कुटीर उद्योग लगाये। इसके लिये उन्हें 2 करोड़ रूपये तक का लोन दिया जायेगा। लोन की गारंटी सरकार लेगी। सब्सिडी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह को बैंक से लिंक कर समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जायेगी। मुख्यमंत्री भजन संध्या में भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगने वाली फीस सरकार भरेगी। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री एवं सासंद श्री ज्ञान सिंह, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जिला प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे, मानपुर विधायक सुश्री मीना सिंह, बांधवगढ विधायक श्री शिवनारायण सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कंचन खट्टर, विनोद गौटिया, जिले भर के कलाप्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

लघु वनोपज संघ अध्यक्ष श्री महेश कोरी द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा का स्वागत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महुआ फूल एवं महुआ गुल्ली संग्रहण का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम करने की घोषणा के अनुपालन में राज्य लघु वनोपज संघ ने सभी जिला वनोपज यूनियन के प्रबंध संचालकों को निर्देश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंगलवार को उमरिया में उमरिया महोत्सव के दौरान महुआ फूल एवं गुल्ली का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी।

राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि वनोपज संघ द्वारा 19 अप्रैल को ही संग्राहकों से महुआ फूल एवं गुल्ली 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इनका संग्रहण केवल वास्तविक संग्राहकों से ही किया जाये। किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति से न खरीदें। संग्राहकों को राशि का भुगतान प्रतिदिन फड़ मुंशी अथवा नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित वन-रक्षक और स्थानीय जन-प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाये।

दतिया का रत्ननंदिता अभियान देश के 62 नवाचार में शामिल

90 हजार हितग्राही को सालभर में मिल चुका है लाभ

भोपाल। दतिया जिले के रत्ननंदिता अभियान को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश के 62 सर्वश्रेष्ठ नवाचार में शामिल किया है। अभियान के जरिये दतिया जिले में विभिन्न योजनाओं के 90 हजार हितग्राही को लाभान्वित किया जा चुका है। जनसम्पर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने इस उपलब्धि पर दतिया जिले के नागरिकों और जिला प्रशासन को बधाई दी है।

रत्ननंदिता अभियान में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के संभावित पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर विभिन्न विभाग से समन्वय कर उनकी लगातार मॉनीटरिंग कर योजना का लाभ पहुँचाया जाता है। अभियान में पहले के विभिन्न सर्वे कार्यक्रमों, जिनमें ग्रामोदय से भारत उदय, नगर उदय अभियान और अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों के क्षेत्र भ्रमण, के दौरान प्राप्त आवेदनों को संकलित किया जाता है। इसके बाद विभिन्न पोर्टल पर दर्ज आवेदनों का चयन कर पात्र हितग्राहियों को रत्ननंदिता पत्र दिया जाता है। यह पत्र सह-स्वीकृति पत्र के रूप में डिजाइन किया गया है।

सह स्वीकृति पत्र में आवेदन से संबंधित जानकारी और संबंधित योजनाओं की पात्रता का उल्लेख होता है। इस प्रक्रिया में आवेदक को साधारण जानकारी देना और हस्ताक्षर करना आवश्यक किया गया है। प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि आवेदन-पत्र को ही परीक्षण के बाद स्वीकृति-पत्र में तब्दील किया जाता है।

दतिया जिले में रत्ननंदिता अभियान में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, निराश्रित पेंशन योजना, घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की योजनाओं, पथ विक्रेता, हम्माल-तुलावटी, केश-शिल्पी, कन्या अभिभावक, लाड़ली लक्ष्मी और कृषि फसल बीमा योजना आदि से 90 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित जा चुका है।

दतिया कलेक्टर श्री मदन कुमार का कहना है कि भारत में सामाजिक न्याय संस्कृति से जुड़ी अवधारणा है। भारतीय संस्कृति पुण्य, परोपकार और सेवा भावना से सरोकार रखती है। दतिया जिला शक्ति स्वरूप देवियों के प्राचीन मंदिरों के लिये देशभर में प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दतिया जिले में रत्ननंदिता अभियान चलाया गया। अभियान से जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुँचने में आसानी हुई है और जिला प्रशासन सेवा भाव के साथ इन हितग्राहियों से जुड़ सका।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सौर ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा : श्री चौहान

परियोजना के विकासकों के साथ अनुबंध निष्पादित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। श्री चौहान ने यह बात रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के अवसर पर कही। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री वैंकेया नायडू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। केन्द्रीय राज्य मंत्री नवकरणीय ऊर्जा श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रीवा परियोजना देश में सोलर ऊर्जा के आदर्श मानक के रूप में स्वीकार की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य होगा। नवरकणीय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। इस क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य हो रहा हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की नई राहें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सड़क, बिजली और पानी आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ विकास का मार्ग चुना है। ताकि भावी पीढ़ी के प्राणियों के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न खड़ा नहीं हो। इसी दिशा में प्रदेश में पर्यावरण चेतना का प्रकल्प नर्मदा सेवा यात्रा संचालित है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को विजनरी लीडर मिला है, जो दुनिया के आइकॉन बन गये हैं। मध्यप्रदेश उनके सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री के एक लाख मेगावॉट सोलर ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में प्रदेश कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने रीवा परियोजना को देश में सौर ऊर्जा की न्यूनतम दर मिलने पर कहाकि दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे, पारदर्शी प्रक्रिया और ईमानदार नीयत के साथ किये गये प्रयासों का प्रतिफल है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू ने कहाकि पहले मध्यप्रदेश देश का ऐसा विशिष्ट राज्य था जो संसाधनों में सम्पन्न किन्तु राजनीति में बीमारू था। अब प्रदेश की गतिशील सरकार ने रा%य को नई पहचान दिलाई है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की नीलामी में फ्रांस, जापान, इटली, सिंगापुर सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह चमत्कारिक परिवर्तन सरकार के संकल्प और ईमानदार समर्पण का प्रतिफल है।

उन्होंने प्रदेश में नगरीय विकास के प्रयासों की भी सराहना की, कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में चयनित 20 में प्रदेश के 7 नगरों का चयन सरकार की विकास प्रतिबद्धता को दिखाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बना इंदौर जिले का पहला आवास

गृह प्रवेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान हुए शामिल

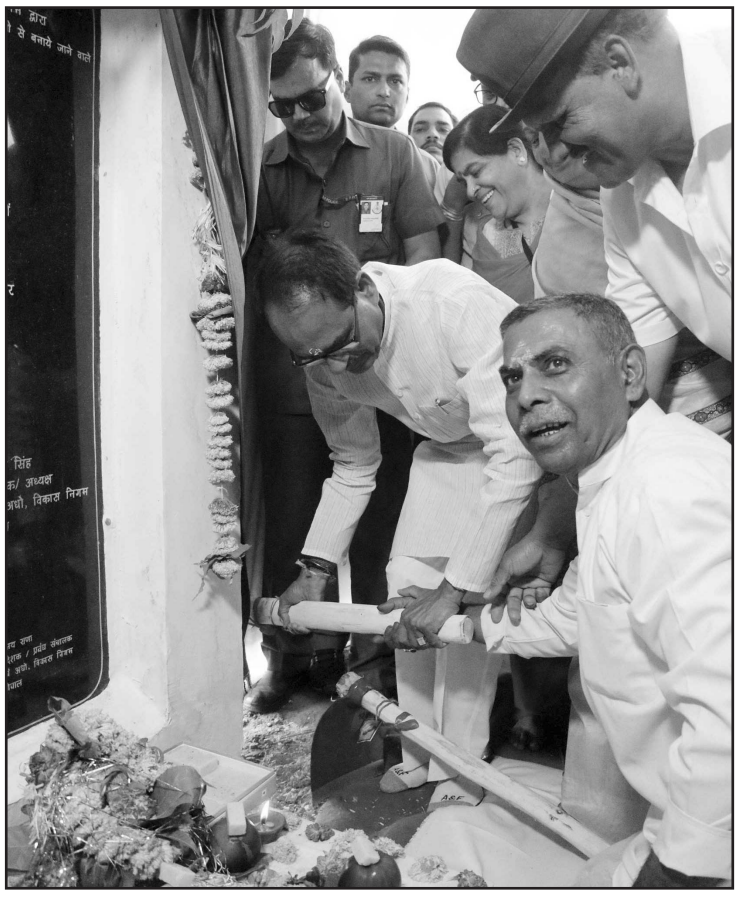

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर जिले के महू-अम्बेडकर नगर के नजदीक ग्राम गवली पलासिया निवासी उदयराज पिता सीताराम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बनाये गये आवास के गृह प्रवेश में शामिल हुए। गृह प्रवेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पाकर उदयराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने उदयराज को शुभकामनाएँ दी। उदयराज का नया पक्का मकान 45 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए उन्हें एक लाख 35 हजार रूपये तीन किस्त में दिये गये। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन और विमानन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

लगभग 45 दिन पहले गवली पलासिया के उदयराज मात्र दो चारपाई लगने वाले अपने कच्चे घर में रहते थे। वे गाँव के ही किशन पटेल के घर ट्रेक्टर चालक के रूप में काम करते रहे। बढ़ती उम्र में उनकी पीठ और हाथ के जोड़ों में एठन होने लगी। उन्होंने बताया कि हर बारिश में उन्हें मकान की चिंता सताती रहती थी। प्रधानमंत्री आवास मिशन में पहला मकान उनका बना, इसलिए उन्हें और भी खुशी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गृह प्रवेश कार्यक्रम में हवन वेदिका पर बैठे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने व्हील-चेयर पर बैठे उदयराज को फूलमाला पहनाई।

प्रदेश में खनिज राजस्व से 3746 करोड़ से अधिक की आय सभी 51 जिले में खनिज परिवहन के लिये ई-टीपी व्यवस्था

भोपाल। मध्यप्रदेश खनिज उपलब्धता की दृष्टि से देश का चौथा खनिज सम्पन्न राज्य है। प्रदेश में पिछले वर्ष खनिज राजस्व के रूप में 3746 करोड़ 11 लाख रुपये की आय हुई है। प्रदेश में वर्ष 2015-16 में खनिज राजस्व के रूप में 3610 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए थे।

राज्य में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर रोक लगायी गयी है। वर्ष 2016-17 में अवैध परिवहन के 11 हजार 885, अवैध भण्डारण के 648 और अवैध उत्खनन के 827 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गयी। इन प्रकरणों में अर्थ दण्ड के रूप में करीब 35 करोड़ रुपये दोषियों से जमा करवाये गये।

9 देश के प्रतिभागियों ने छोटे कृषि यंत्रों का लिया प्रशिक्षण

कृषि मंत्री श्री बिसेन की उपस्थिति में 15 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

भोपाल। कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में 15 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने 9 देश से आये 23 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिये तथा सफल प्रशिक्षण पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु भविष्य में भी संस्थान से ज्ञान, तकनीकी विकास संबंधी जानकारी के लिये जुड़े रहें। उन्होंने संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से सहभागी देशों को सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

संस्थान में 11 से 25 अप्रैल तक **छोटे किसानों के लिये कृषि यांत्रिकीकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण** 15 दिवसीय प्रशिक्षण में अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के 9 देश बोत्सवाना, घाना, कीनिया, लायबेरिया, मलावी, मोजाम्बिक, यूगांडा, अफगानिस्तान तथा मंगोलिया से 23 प्रशिक्षणार्थियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण में छोटे किसानों के लिये विभिन्न हस्त चालित, पशु चालित, छोटे ट्रेक्टर से चलने वाली और स्वचालित मशीनों, प्र-संस्करण मशीनों तथा नवकरणीय ऊर्जा यंत्रों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निर्देशक डॉ. के.के.सिंह एवं कृषि मशीनीकरण प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. पी.एस. तिवारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की शुरूआत

सोलर पम्प लगाने पर 90 फीसदी तक सब्सिडी

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कृषि प्रयोजन के लिये मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की शुरूआत की गयी है। योजना के लिये राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था, डीजल से सिंचाई वाले किसानों को वित्तीय भार से बचाना, विद्युत वितरण कम्पनी के अस्थाई विद्युत कनेक्शनों की संख्या में कमी लाना और डीजल पम्प से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिये राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, किसानों को सक्षम बनाने के लिये बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना एवं कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना भी है।

योजना प्रदेश के उन दूर-दराज के क्षेत्र में क्रियान्वित होगी, जहाँ विद्युत अधोसंरचना का विकास नहीं हो सका है और कृषि पम्पों के लिये स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं हैं। योजना को समूह/क्लस्टर में लागू करने को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना ऐसे श्रेणी के हितग्राहियों पर केन्द्रित रहेगी, उनमें ऐसे ग्राम/टोले/वन क्षेत्र या स्थल, जो वर्तमान में अविद्युतीकृत हैं और जहाँ अगले 2-3 वर्ष तक परम्परागत विद्युत पहुँचने की संभावना नहीं है। ऐसे विद्युतीकृत ग्राम-टोले, जिसमें सोलर पम्प का प्रस्तावित स्थापना स्थल विद्युत वितरण कम्पनी की विद्युत लाइन से कम से कम 300 मीटर दूर स्थित होना चाहिये। नदी या बाँध के समीप ऐसे स्थान जहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता तथा वॉटर पम्पिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो। योजना का क्रियान्वयन उन क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है, जहाँ विद्युत वितरण कम्पनी की वाणिज्यिक हानि काफी ज्यादा है या फिर अत्यधिक राजस्व हानि के कारण विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ट्रांसफार्मर लिये गये हैं।

हितग्राही अंश

कृषि कार्य के लिये सोलर पम्प की स्थापना 3 एच.पी.तक के सोलर पम्पों पर 90 प्रतिशत, 3 से 5 एच.पी. तक के लिये 85 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा, जबकि 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के सोलर पम्प पर 5 एच.पी. का राज्य अनुदान एवं निर्धारित केन्द्रांश ही लागू होगा। इस प्रकार हितग्राही को एक एच.पी., डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 17 हजार 500 रुपये, 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस पम्प के लिये 20 हजार रुपये, 2 एच.पी.डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 23 हजार 500 रुपये, 3 एच.पी.डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 34 हजार रुपये, 5 एच.पी. डी.सी./ए.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 68हजार रुपये, 7.5 एच.पी./ए.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 2 लाख 60 हजार रुपये, 10 एच.पी. डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 4 लाख 68हजार रुपये तथा 10 एच.पी.ए.सी.सब-मर्सिबल पम्प के लिये 3 लाख 57 हजार रुपये मात्र देने होंगे।

योजना का क्रियान्वयन

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषक के पास स्वयं का जल-स्रोत जैसे कि बोरवेल, कुआँ, नदी, स्टॉप डेम इत्यादि होना आवश्यक है। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिये फार्म, कार्यालय जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी अथवा कार्यालय कृषि उप संचालक कृषि, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग या निगम मुख्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिये एक पृथक पोर्टल www.mpcmsolarpump.com भी तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार्य होंगे। योजना के आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई तक प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन के साथ आवेदक को 5000 रुपये पंजीयन शुक्ल के रूप में जमा करवाना होगा। आवेदन उपयुक्त पाये जाने पर शेष राशि सोलर पम्प की क्षमता एवं प्रकार के अनुसार जमा करवानी होगी। आवेदन के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर यह राशि वापस कर दी जायेगी। आवेदक को आवेदन के साथ भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का विवरण (खसरा नम्बर, ग्राम, आर.आई. सर्कल, तहसील, जिला इत्यादि), सिंचाई का वर्तमान स्रोत, कृषि के लिये विद्युत कनेक्शन है अथवा नहीं तथा अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। पूर्ण रूप से भरे आवेदन मय आवश्यक दस्तावेजों के कार्यालय उप संचालक किसान-कल्याण और कृषि विकास, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय में जमा करवाने होंगे। आवेदनों के परीक्षण के बाद पात्र आवेदकों के लिये सोलर पम्प की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

सरपंच के लिये 6 माह और पंच के लिये 3 बैठक के मानदेय का अग्रिम भुगतान

भोपाल। शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच के लिये दिये जाने वाले मानदेय की राशि को सीधे पंचायत राज संचालनालय से संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है। मानदेय की राशि को संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में सीधे जमा करवाने के निर्देश जारी होने के बाद हाल ही में मानदेय भुगतान की राशि अग्रिम जमा करवायी गयी है। राशि का मदवार ग्राम पंचायतवार विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायतों को प्राप्तियाँ ऑप्शन में उपलब्ध है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि मानदेय की राशि का सीधा संचालनालय से ग्राम पंचायत के बैंक खातों में जमा करवाने के निर्देश कतिपय सरपंच और पंचों द्वारा मानदेय की राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत के बाद लिया गया। इससे मानदेय नियमित रूप से सरपंच और पंच को प्राप्त होगा। पंचायत दर्पण पोर्टल पर पूरी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अपर मुख्य सचिव श्री जुलानिया ने बताया कि शासन द्वारा सरपंच को 1750 रुपये प्रतिमाह और पंच को प्रति मासिक बैठक 100 रुपये अधिकतम 6 बैठक के लिये 600 रुपये का मानदेय देने का प्रावधान है। हाल ही में अग्रिम भुगतान के तौर पर सरपंच के लिये 6 माह और पंच के लिये 3 बैठक के मानदेय भुगतान की अग्रिम राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में भेजी गयी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और उपार्जन के भुगतान की सुचारु व्यवस्था बनाये

● किसानों और गरीब हितग्राहियों को भुगतान में दिक्कत नहीं हो ● मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश बैंकर्स की बैठक में

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये है कि बैंकों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और किसानों को समर्थन मूल्य का उपार्जन के भुगतान की सुचारु व्यवस्था बनायें। इन्हें भुगतान के लिये बार-बार बैंकों में नहीं जाना पड़े यह सुनिश्चित करें। किसान और हितग्राही के खाते में सीधे जमा होने वाली राशि की सूचना एसएमएस से उन्हें तुरंत मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिये मिशन मोड पर काम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ बैंकर्स की बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना न्यू इंडिया के निर्माण का है। जिसमें सीधे खातों में भुगतान और केशलेस व्यवस्था प्राथमिकता में है। मध्यप्रदेश इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। गरीब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का समय-सीमा में भुगतान बैंकों की प्राथमिकता में हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को उनके गाँव में ही पेंशन उपलब्ध करवायें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन का भुगतान समय-सीमा में हो। किसानों को अपने खाते से राशि निकालने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके लिये सहकारी बैंकों में नगदी की आवक बनाये रखें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों में नगदी की आवक का प्रतिशत बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाये। इस संबंध में रिजर्व बैंक के स्तर पर कार्रवाई की जाये। किसानों के चेक क्लियरिंग में अधिक समय नहीं लगे। उन्होंने स्थिति की नियमित समीक्षा के लिये रा%य शासन की ओर से तीन वरिष्ठ अधिकारियों अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल की समिति गठित करने के निर्देश दिये। बैंक बिजनेस प्रतिनिधि की व्यवस्था को मजबूत बनाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान की व्यवस्था बेहतर हो। बिजनेस प्रतिनिधि के लिये निर्धारित केश लिमिट बढ़ाने की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री आवास मिशन के प्रकरणों के लिये मापदंडों में सुधार करें ताकि इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऐसे बेरोजगार युवाओं को लाभ दिलायें, जो खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवायें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का थर्ड पार्टी असेसमेंट करायें।

बैठक में बताया गया कि हितग्राहियों को भुगतान के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों द्वारा कैंप लगाये जायेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष में 1 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 7 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 5 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख 44 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता दुकानों को केशलेस सुविधा से युक्त किया जायेगा। अब तक इस तरह की 1 हजार 700 दुकानों में यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा सहित बैंकर्स तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग से सैनिक प्रशिक्षणार्थियों की मुलाकात

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय थल सेना, वायु सेना एवं भूटान आर्मी के प्रशिक्षणार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रूचि रखने वाले फौजियों को इसमें चयनित कर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिये यह सौभाग्य की बात है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों के हित में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण में अंतरिक्ष विज्ञान की अहम भूमिका

अभिशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर अधिवेशन में इसरो चेयरमेन

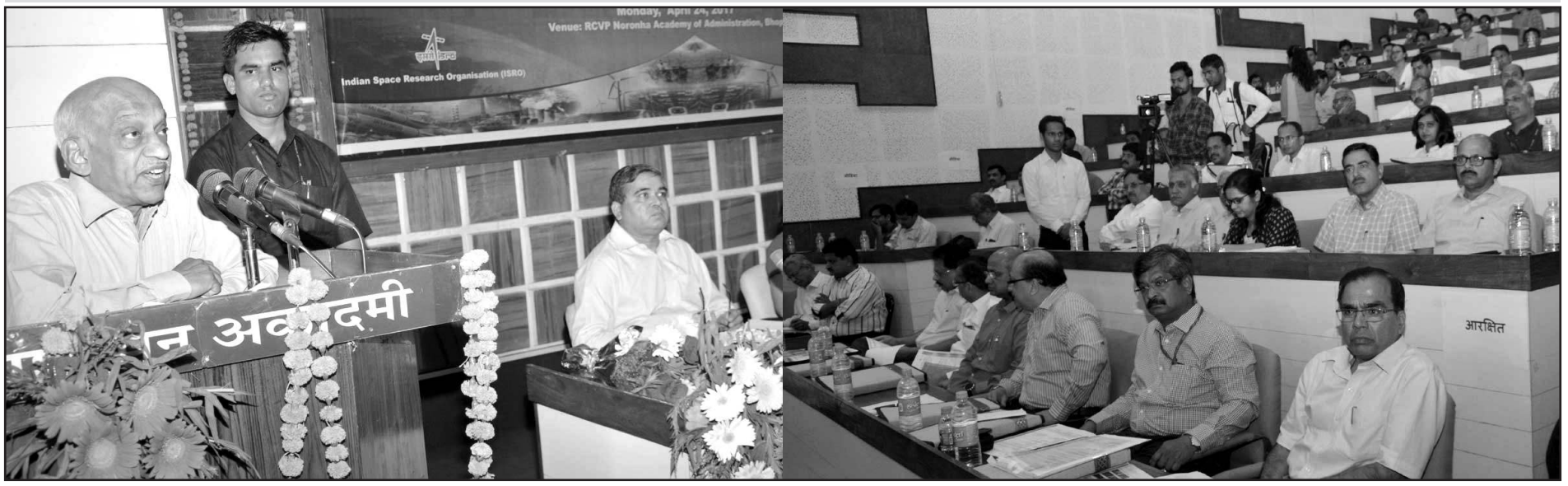

भोपाल। मध्यप्रदेश का स्थान देश के उन कुछ राज्यों में है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में अग्रणी हैं। अंतरिक्ष विभाग (इसरो) ने यहाँ अपना सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र स्थापित किया है। केन्द्र ने प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की सूचना सम्पदा को जुटाने की दिशा में प्रशंसनीय काम किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमेन और अंतरिक्ष विज्ञान विभाग, भारत सरकार के सचिव डॉ. ए.एस. किरण कुमार ने यह बातें अभिशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित साधनों एवं अनुप्रयोगों का संवर्धन पर राज्य अधिवेशन में कही।

डॉ. किरण कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण के लिये जियोस्पेशियल टेक्नालॉजी, **नाविक** उपग्रहों और जीपीएस तकनीक का उपयोग हो रहा है। पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण में अंतरिक्ष आधारित साधनों की भूमिका दिखायी दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने मंगल की कक्षा में पहले ही प्रयास में अपना यान सफलता से स्थापित कर दिया। **इसरो** ने बीते वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न उपयोगों का लाभ समाज तक पहुँचाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भर होने की दिशा में योगदान किया है। डॉ. किरण कुमार ने कहा कि सुदूर संवेदन और **नाविक** उपग्रहों ने प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष विभाग के **सिस-डिप** प्रोजेक्ट की चर्चा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान ने प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण और देश के सामाजिक उत्थान में प्रशंसनीय योगदान किया है। उन्होंने म.प्र. में भुवन-पंचायत मोबाइल एप से परि-सम्पत्तियों के वर्गीकरण की भी चर्चा की।

सुशासन और विकास में अंतरिक्ष विज्ञान उपयोगी सिद्ध हुआ

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित साधनों एवं उपयोगों से परिचित करवाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सुशासन और विकास में अंतरिक्ष विज्ञान की बड़ी भूमिका सामने आयी है। मुख्य सचिव ने कहा कि **इसरो** ने देश में इस तरह के अधिवेशन के लिये प्रथम समूह में जिन राज्यों को चुना, उनमें मध्यप्रदेश भी है। मध्यप्रदेश के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (आरएसएसी) ने प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के वैज्ञानिकों ने चन्द्रयान-प्रथम से प्राप्त डाटा और चित्रों का विश्लेषण किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि मेपकास्ट और इसरो के वैज्ञानिक मिलकर आने वाले दिनों में ऐसा शोध करेंगे, जिसका उपयोग राज्य में सुशासन और विकास की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री चन्द्रकांत पाटिल ने कहा कि परिषद के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र ने **इसरो** की कई परियोजनाओं पर काम किया है। उन्होंने बताया कि परिषद ने विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन (सिस-डिप) परियोजना में योगदान किया है। **इसरो** चेयरमेन डॉ. ए.एस. किरण कुमार और मुख्य सचिव ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

मण्डला, छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले में फूड पार्क

पार्कों में कोल्ड-स्टोरेज, वेयर-हाउस और आइस प्लांट सुविधा का विकास

भोपाल। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मण्डला, छिन्दवाड़ा और मंदसौर जिले में चरणबद्ध रूप से उद्योग एवं वाणि%य विभाग द्वारा फूड पार्क विकसित किये जा रहे हैं। पार्क में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है।

मण्डला जिले के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में कृषि एवं खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूड पार्क की स्थापना की गयी है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना के रूप में वेयर-हाउस, कोल्ड-स्टोर और मिल्क चिलिंग प्लांट का निर्माण किया गया है। फूड पार्क के विकास के लिये 30.354 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। अब तक 10 इकाई को करीब 4 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसमें 7 फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादन हो रहा है।

छिन्दवाड़ा जिले के बोरगाँव में भी फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। यह पार्क औद्योगिक क्षेत्र छिन्दवाड़ा से 72 किलोमीटर दूर नागपुर के पास सौंसर तहसील में है। फूड पार्क में 15 औद्योगिक इकाई को 13.148हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। फूड पार्क के लिये करीब 22 हेक्टेयर भूमि का विकास किया गया है। पार्क में 12 इकाई में उत्पादन किया जा रहा है। फूड पार्क में 34 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और करीब 900 व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है।

मंदसौर जिले का जग्गाखेड़ी फूड प्रोसेसिंग पार्क 50 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। पार्क में कोल्ड-स्टोरेज, आइस प्लांट, वेयर-हाउस और टेस्टिंग लेबोरेटरी भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। पार्क में बुनियादी अधोसंरचना जल-प्रदाय, सड़क, बिजली आदि के कार्य भी प्राथमिकता के साथ करवाये गये हैं। पार्क के 94 भू-खण्ड 63 इकाई को आवंटित किये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 29 उद्योग की स्थापना हो चुकी है। फूड पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अब तक 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।

समिति गठित

भोपाल। शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रम, मण्डल, निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, सुविधा में वृद्धि, संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के लिये समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त अध्यक्ष, संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य और संबंधित निगम, मण्डल के प्रबंध संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे। जारी आदेश में पूर्व में गठित समिति को निरस्त करते हुए इस समिति का गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन

भोपाल। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समिति बनायी है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होंगे।

समिति के सदस्यों में स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और महिला-बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि, क्रियान्वयन समिति के प्रतिनिधि (मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम), एनआईसी के राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी तथा सीएससी-एसपीव्ही के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। उप सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

हल्के रंग के कपड़े पहनें और ज्यादा से ज्यादा पानी का करें सेवन

इंदौर।सूरज की बढ़ती तपन से मानव जीवन अस्त-व्यस्त नजर आने लगा है। गत दिनों से का तापमान अधिक बना हुआ है। दिन में तेज हवायें भी चल रही हैं, जो गर्म लू में तब्दील हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इससे बचाव के लिये चिकित्सकों द्वारा लोगों को सलाह दी गई है।

सभी लोग धूप मे बाहर जाते समय हमे सफेद या हल्के रंग के ढीले कपडों का प्रयोग करे एवं टोपी, रंगीन चश्मे व छतरी का उपयोग अवश्य करे तथा अत्यधिक पानी पीयें। गर्मी के दिनो में अपने घरों को ठण्डा रखे। दरवाजे एवं खिडकियॉ बंद रखे एवं रात में तापमान कम होने के समय खिड़कियॉ एवं दरवाजे को खोले जा सकते है। गर्मी के दिनों में तापमान 35 डिग्री से अधिक होने पर अधिक मात्रा मे पेये पदार्थ पीये।

गर्मी के दिनो मे जहा तक संभव हो बाहर न जायें। धूप मे खडे होकर व्यायाम मेहनत व अन्य कार्य न करे बहुत अधिक भीड गर्म घुटन भरे कमरों, रेल, बस आदि की यात्रा गर्मी के मौसम मे अत्यावश्यक होने पर ही करे। गर्मी के दिनों मे अपने शरीर को ठण्डा रखने हेतु ठण्डे पानी से स्नान करें या ठण्डे कपडे से शरीर को ढकें। गर्मी के दिनो मे चक्कर, घबराहट, कमजोरी, अत्यधिक प्यास लगना एवं सिर मे दर्द, हाथ पैरो मे जकडन की शिकायत हो तो शीघ्र अतिशीघ्र ठण्डी जगह पर जाकर आराम करे एवं अपने शरीर का तापमान लेवें। अगर उपयुक्त उपचार से आराम न मिले तो तत्काल निकट के स्वास्थ्य केन्द्र मे जाये।

अगर स्वास्थ्य केन्द्र मे रेफर करने मे विलम्ब हो रहा हो तो ऐसे मरीजों को सीधा लेटाकर पैरो की तरफ से ऊँचा करे एवं ठंडे पानी मे कपडा भिगोकर शरीर को ढंक देंवे। गर्मी के मौसम मे गर्दन के पीछे का भाग, कान व सिर को गमछे या तौलिये से ढंककर ही धूप में निकले। ओ.आर.एस, अन्य पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करे। दोपहर 12 से 3 बजे के समय घर से बाहर न जावें एवं अधिक से अधिक पानी पीयें। हल्के, ढीले, हवादार एवं सूती कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले साथ ही गर्दन के पिछले भाग, कान व सिर को गमछे या तौलिये से ढंक कर ही धूप मे निकलें। यात्रा करने समय पानी अवश्य रखें एवं समय-समय पर पानी पीते रहे, चाय, कॉफी एल्कोहल वाले पेय, कार्बोनेटेडे पदार्थ का उपयोग न करे। गर्मी के दिनों मे बाहर का खाना एवं बासीं खाना, दूषित जल एवं सडे गले फलो का सेवन न करें।

लू (तापघात) होने पर प्राथमिक उपचार

यदि कोई व्यक्ति लू से पीडित है तो प्राथमिक उपचार मे रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपडे ढीले कर लिटाये एवं हवा करे रोगी को होश में आने की दशा में उसे ठण्डे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पना, निम्बू पानी आदि ठंडे पेय पदार्थ पिलाये, तापमान नियंत्रण हेतु कच्चे प्याज का रस एवं जौ के आटे से मला जा सकता है। संभव हो तो ठंडे पानी से स्नान कराये या मरीज के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टीया रखे, गंभीर स्थिति में मरीज को निकट के स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जावे।

किसानों की आय दोगुनी करने के रोडमेप का नई दिल्ली में दिया प्रजेंटेशन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के रोड मेप का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

नीति आयोग की बैठक मुख्य रूप से देश की आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में **विजन डाक्यूमेंट ऑफ इण्डिया-2022** को तैयार करने के मकसद से हुई थी। भारत की आजादी के 75 वर्ष वर्ष 2022 में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों की आय अगले 5 वर्ष में दोगुनी कैसे की जाये, की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विस्तार, कृषि बाजार में सुधार, ई-नैम, उन्नत पशुधन विस्तार, पशुधन उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में कृषि की लागत में कमी लाने की जरूरत है। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विविधिकरण कर किसानों को उनकी उत्पादकता का बेहतर मूल्य दिलवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर आपदा प्रबंधन की भी भूमिका होनी चाहिये, जिससे किसानों को नुकसान होने पर समय पर उनकी उपज का मुआवजा दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श किया।

मध्यप्रदेश कमजोर और निम्न आय वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना

अधिनियम का राजपत्र में हुआ प्रकाशन

भोपाल। मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास की गारंटी देने के लिये कानून बनाने में देश में अव्वल रहा है। मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम 20 अप्रैल को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के मूल निवासियों को किफायती दर पर आवास या निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड देने की गारंटी देने के लिये कानून बनाने के निर्देश दिये गये थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विगत 24 मार्च को विधान सभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था। विगत 12 अप्रैल को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर उसे अधिनियम का रूप दे दिया गया है।

अधिनियम के अनुसार राज्य शासन आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के रहवासियों को आवास अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने के लिये गारंटी प्रदान करेगा। आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर तथा आवासीय भू-खण्ड का नगर पालिक निगम के लिये न्यूनतम 45 वर्ग मीटर तथा अन्य नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के लिये 60 वर्ग मीटर है। किसी भी व्यक्ति के आवासीय भू-खण्ड अथवा आवास प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण में पात्र पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी उसका पंजीयन कर सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग का पात्र व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी होगा। उसके स्वयं अथवा परिवार के सदस्य के नाम से आवास अथवा आवासीय भू-खण्ड नहीं होगा। परिवार में पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे सम्मिलित होंगे, लेकिन विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्र-वधु, पिता, माता, ससुर, सास, शारीरिक रूप से विकलांग भाई-बहन परिवार के भाग माने जायेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण में ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल रहेंगे। आवास या आवासीय भू-खण्ड के निर्माण, उसके आवंटन का कार्य, क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम में जिला-स्तरीय आवास समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है। समिति सम्पूर्ण कार्यवाही का परीक्षण करेगी तथा क्रियान्वयन के लिये अभिकरण को निर्देश दे सकेगी। प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर को अपील किये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में शामिल है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दृष्टिपत्र-2018में शहरी क्षेत्र में 5 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख आवास उपलब्ध करवाये जाने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार की पहल पर बने इस नये अधिनियम से समस्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के रहवासियों को आवास अथवा आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाने के लिये गारंटी दी गयी है।

खनिज संसाधन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रदेश में खनिज संसाधन विभाग की गतिविधियों को ऑनलाइन करने के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से वेब पोर्टल **ई-खनिज** बनाया गया है। पोर्टल को परिवहन विभाग के साथ लिंक किया जा चुका है। इसके माध्यम से पट्टेदार और ट्रांसपोर्टर खनिज परिवहन के लिये ऑनलाइन वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

प्रदेश में खनिजों के परिवहन पर निगरानी के लिये सभी 51 जिले में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) की व्यवस्था को लागू किया गया है। अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की जानकारी मासिक-पत्रक के रूप में एम.आई.एस. रिपोर्ट के रूप में प्राप्त की जा रही है। ई-टीपी की व्यवस्था लागू होने से प्रधानमंत्री की कैशलेस ट्रांजेक्शन की मंशा पूरी हुई है।

उचित मूल्य की दुकानों पर आग बुझाने के संयंत्र लगाने के निर्देश

मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा है कि भविष्य में केरोसिन विक्रय-स्थलों पर आग लगने की घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये ठोस कार्रवाई की जाये। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आग बुझाने वाले संयंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करवायी जाये। श्री धुर्वे मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। छिन्दवाड़ा जिले के हर्रई (बारगी) में गत 21 अप्रैल को शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर केरोसिन वितरण के दौरान आग लगने की घटना को लेकर यह बैठक बुलायी गयी थी। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, आयुक्त खाद्य श्री विवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई भी उपस्थित थे।

श्री धुर्वे ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर धूम्रपान रोकने के लिये सख्ती बरती जाये। उचित मूल्य की दुकानें यथा-संभव गली में न हो तथा केरोसिन का विक्रय खुले में हो। दुकानों के दरवाजे पर विक्रय न किया जाये। दुकानों के पीछे भी दरवाजा होना चाहिये। सेल्समेन की पूरी जानकारी रखी जाये। ई-राशन का सरलीकरण हो।

श्री धुर्वे ने उचित मूल्य की दुकानों के डिजाइन के संबंध में भी चर्चा की तथा कहा कि इसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये। केरोसिन रखने के टैंकर के आकार के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों से सुझाव लिये। श्री धुर्वे ने कहा कि दुकान एवं टैंकर की डिजाइन सुरक्षा व्यवस्था के अनुकूल हो।

इस अवसर पर इण्डियन आईल कॉर्पोरेशन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश को लगातार पांचवीं बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार

गेंहू उत्पादन श्रेणी में नम्बर वन

भोपाल। मध्यप्रदेश को लगातार पाँचवीं बार भारत सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। वर्ष 2015-16 के लिये यह पुरस्कार गेहूँ उत्पादन की श्रेणी में मिला है। प्रदेश को ट्रॉफी, प्रशस्ति-पत्र और 2 करोड रूपये नगद पुरस्कार मिलेगा। भारत सरकार में कृषि और उद्यानिकी आयुक्त डॉ. एस.के. मलहोत्रा ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने की सूचना देते हुए बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों और कृषि विकास से जुड़ी सभी संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के साथ ही मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। इस वर्ष प्रदेश की कृषि विकास दर 25 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पारम्परिक रूप से सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाले हरियाणा और पंजाब को भी मध्यप्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। गेहूँ उत्पादन में वर्ष 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2015-16में 7.64 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2014-15 में गेहूँ उत्पादन 171.03 लाख टन था, जो 2015-16में बढ़कर 184.10 लाख टन हो गया है। किसानों की लगन और कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कृषि विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है।

प्रदेश में गेहूँ की उत्पादकता बढ़कर 3115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। पिछले साल यह 2850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों को कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें सिंचाई, विद्युत, तकनीकी परामर्श, ब्याज रहित ऋण, मंडी प्रांगण में उपार्जन की ई-सुविधा मुख्य रूप से परिर्वनकारी साबित हुई है।

कृषि कर्मण अवार्ड के साथ-साथ प्रदेश के कृषक समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के 2 सर्वश्रेष्ठ गेहूँ उत्पादक कृषकों, एक पुरुष कृषक तथा एक महिला कृषक को भी पुरस्कार के रूप में सम्मान स्वरूप दो-दो लाख रुपये की नगद राशि का पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदाय किया जायेगा।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने छोड़ी लाल बत्ती

भोपाल। केन्द्रीय केबिनेट द्वारा लालबत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत (स्वतंत्र प्रभार) और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपने वाहन से लाल बत्ती हटवा दी है। श्री सारंग कहा कि जनता की सेवा के लिए लालबत्ती की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हर फैसले का स्वागत करते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
ई-8/77,शाहपुरा, भोपाल
फोन 0755-2726160, 2725518 फैक्स 2726160
e-mail: mpscu.bpl@mp.gov.in website: www.mpscu.in

हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव्ह मैनेजमेंट (HDCM) में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में दिनांक 25 अप्रेल 2017 से 20 सप्ताह की अवधि के सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (**HDCM**)में प्रवेश हेतु स्वाध्यायी/संस्थागत/विभागीय प्रशिक्षणार्थियों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 6000/- है। (अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी)। अभ्यर्थी 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी। पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर से संबंधित विषय भी सम्मिलित है।
आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क करें-

1. सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल दूरभाष 0755-2725518 मो. 9425377233
2. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान इन्दौर दूरभाष 0731- 2410908 मो. 9826031440
3. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हनुमानताल जबलपुर दूरभाष 0761-2341338 मो.9424782856
4. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर दूरभाष 07685-256344 मो. 9407060480

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।